रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 29 नवम्बर, 1988/8 अग्रहायण, 1910

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्यान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 फरवरी, 1988

संख्या उद्यान-क(3) 4/81-II.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग हिमाचल प्रदेश की सहमति से हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग में फल प्रोद्योग विज्ञ श्रेणी-I (राजपत्रित) वेतनमान 1200—1850 रुपये पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम, जो इस विभाग की अधिसूचना सं० उद्यान-क (3) 4/81-II, दिनांक 3-9-87 द्वारा अधिसूचित किए गए थे, को निष्प्रभावित करते हुए इस अधिसूचना में संलग्न (अनुबन्ध-VII) के अनुसार फल प्रोद्योग विज्ञ वर्ग प्रथम (राजपत्रित) के भर्ती एवं पदोन्नति नियम सहर्ष बनाते हैं।

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इसके आगे इस विभाग द्वारा इस पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम अधिसूचना सं० 25-5/69-होर्ट (सैक्ट), दिनांक 19-12-1971 तथा समय-समय पर इन नियमों में किए गए संशोधन अधिसूचित को निरसन करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं बशर्ते कि यह निरसन पहले बनाए गए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अन्तर्गत हुई कार्यवाही पर असर नहीं डालेगा या उन नियमों के अन्तर्गत की गई कार्यवाही उन नियमों के अनुसार मान्य होगी।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) यह नियम हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग के वर्ग प्रथम (राजपत्रित) सेवाएं नियम, 1988 कहलायेंगे ।

(2) यह नियम हिमाचल प्रदेश सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।

अनुबन्ध-VII

हिमाचल प्रदेश सरकार, उद्यान विभाग में श्रेणी-I (राजपत्रित) सेवाएं नियम, 1988

1. पद का नाम	फल प्रोद्योग विज्ञ
2. पद की संख्या	एक
3. वर्गीकरण	श्रेणी-I (राजपत्रित)
4. वेतनमान	रुपये 1200—1850
5. क्या पद प्रवरण अथवा अप्रवरण है	प्रवरण
6 सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	45 वर्ष तथा इस से कम :

उपबन्धित है कि सीधी भर्ती के लिये अधिकतम आयु सीमा उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगी जो पहले ही तदर्थ या अनुबन्ध के आधार पर सरकारी सेवा में कार्यरत हों :

आगे उपबन्धित है कि तदर्थ या अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त उम्मीदवार यदि नियुक्ति तिथि की अधिकतम आयु सीमा पार कर गया हो, तो उसे निर्धारित आयु सीमा में इस आधार पर छूट नहीं दी जायेगी:

आगे उपबन्धित है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिये उच्चतम आयु सीमा में देय छूट उतनी है, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अन्तर्गत अनुमत है :

आगे उपबन्धित है कि सार्वजनिक क्षेत्र में निगमों तथा स्वायत निकायों के लिए सभी कर्मचारियों को जो इन सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय इनमें अन्तर्लीत होने से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, को भी सरकारी कर्मचारियों की भांति सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट होगी । इस प्रकार की छूट सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत निकायों के उन कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं होगी जो उक्त निगमों/स्वायत निकायों द्वारा बाद में भर्ती किये गये थे/हों और इन सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के बाद अन्तिम रूप से इन निगमों/स्वायत निकायों में अन्तर्लीत हो गये हों ।

टिप्पणी-1.—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा, आयोग द्वारा आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए निश्चित अन्तिम तिथि गिनी जायेगी ।

	2. सीधी भर्ती की स्थितियों में अन्यथा विशिष्ट योग्यता प्राप्त उम्मीदवार के लिये आयु सीमा तथा अन्य सम्बन्धित योग्यताओं में आयोग के विवेकानुसार छूट देय होगी ।
7. सीधी भर्ती के लिये कम से कम शैक्षणिक योग्यता तथा अनिवार्य अन्य आवश्यक योग्यतायें।	**अनिवार्य :** (1) उद्यान में स्नातकोत्तर उपाधि (खाद्य) फल प्रोद्योगिकी (खाद्य/फल प्रोद्योगिकी) में स्नातकोत्तर उपाधि या फूड माइक्रोबायोलोजी में स्नातकोत्तर उपाधि, एस॰सिएट-शिप सी0 एफ0 टी0 आर0 आई0 में खाद्य/फल प्रोद्योगिकी में या समकक्ष । (2) कैनिंग और फल/खाद्य विधायन में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव तथा इसके साथ प्रशासनिक उत्तरदायी पद पर तीन वर्ष का अनुभव । **वांछनीय :** (1) खाद्य/फल प्रोद्योगिकी में पी0 एच0 डी0 की उपाधि । (2) हिमाचल प्रदेश के रीति-रिवाजों, भाषा तथा संस्कृति का ज्ञान तथा प्रदेश की विशेष परिस्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8. क्या आयु व शैक्षणिक योग्यता जिसका वर्णन सीधी भर्ती के लिये किया गया है, पदोन्नति के लिये भी लागू होगी ?	आयु : नहीं । शैक्षणिक योग्यता : नहीं ।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि जिसको कि सक्षम प्राधिकारी के लिखित आदेश द्वारा विशेष परिस्थितियों में अधिकतम केवल एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।
10. भर्ती की प्रणाली, क्या सीधी अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न ढंगों द्वारा रिक्त स्थानों को भरने की प्रतिशतता।	पदोन्नति द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा ।
11. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले पर वह वेतनमान जिसमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है ।	सहायक फल प्रोद्योग विज्ञ, गुण नियन्त्रक अधिकारी प्रापण एवं विक्रय अधिकारी और खाद्य जीवाणु विज्ञ में से पदोन्नति द्वारा वेतनमान 825—1580 (कालमान) 1200—1700 (प्रवरण वेतनमान 20 प्रतिशत) और इस वेतनमान में 3 वर्ष की नियमित सेवा तथा नियमित नियुक्ति के पूर्व यदि कोई 31-12-83 तक अपेक्षित पद पर तदर्थ सेवा की गई हो तो पदोन्नति के लिये निर्धारित कार्यकाल अवधि में ऐसी सेवा की अवधि को गिना जायेगा । पदोन्नति क लिए वेतनमान में नियमित सेवा काल क आधार पर संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जायेगी और अन्ततः वरिष्ठता को नहीं छेड़ा जायेगा । टिप्पणी 1.—पदोन्नति के सभी मामलों में नियमित नियुक्ति से पूर्व यदि कोई 31-12-83 तक अपेक्षित पद पर तदर्थ सेवा की गई हो तो पदोन्नति के लिये निर्धारित

कार्यकाल अवधि में ऐसी सेवा की अवधि को गिना जायेगा जैसा कि नियमों में निर्धारित है बशर्तेकि:—

(क) उपरोक्त शर्तों को मध्यनजर रखते हुये सभी मामलों पर जो सेवा की एक कनिष्ठ प्रत्याशी 31-12-83 तक की गई तदर्थ सेवा को मिला कर पदोन्नति के लिये योग्य हो जाता है तो वह सभी प्रत्याशी जो तत्सम्बन्धी वर्ग-संवर्ग में इससे वरिष्ठ होंगे वह सभी विचारणीय होंगे तथा कनिष्ठ प्रत्याशी से वरिष्ठ समझे जायेंगे :

उपबन्धित है कि वे सभी प्रत्याशी जो पदोन्नति हेतु विचाराधीन हों वे कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम सरकारी सेवा अवधि या भर्ती एवम् पदोन्नति नियमानुसार जो भी निर्धारित सेवा की अवधि हो, दोनों में से जो भी कम हो, रखते हों :

आगे उपबन्धित है कि यदि कोई कर्मचारी/प्रत्याशी पदोन्नति के लिये उपरोक्त उपबन्धों के अनुसार अनुपयुक्त/अयोग्य पाया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उससे कनिष्ठ प्रत्याशी भी पदोन्नति के लिये अयोग्य समझे जायेंगे ।

(ख) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों के लिये भी 31-12-83 तक की गई तदर्थ सेवा नियमित नियुक्ति से पहले यदि कोई हो तो ऐसी सेवा को कार्यकाल अवधि में जोड़ा जायेगा :

उपबन्धित है कि इस प्रकार तदर्थ सेवा सम्मिलित कर के स्थायीकरण करने पर भी परस्पर वरिष्ठता में परिवर्तन न आने पाये ।

(ग) 31-12-83 के उपरान्त की गई तदर्थ सेवा को स्थायीकरण या पदोन्नति के लिये नहीं गिना जायेगा ।

टिप्पणी-2.—जब कभी नियम 2 के अधीन पदों की संख्या में वृद्धि की जाती है तो सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियम 10 तथा 11 के उपबन्धों में संशोधन किये जायेंगे ।

12. यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो इसकी संरचना क्या है ?

पदोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसके द्वारा मनोनीत सदस्य द्वारा की जायेगी ।

13. परिस्थितियां जिसमें भर्ती के लिये हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जायेगा ।

जैसा कि विधि के अधीन अपेक्षित है ।

14. सीधी भर्ती के लिये आवश्यक योग्यतायें

उपर्युक्त या पद सेवा के लिये उम्मीदवार का निम्नलिखित का होना आवश्यक है :—

(क) भारतीय नागरिक, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) विस्थापित तिब्बती जोकि 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी निवास के उद्देश्य से आया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका, कीनिया, युगांडा, संयुक्त गणतन्त्र तंजानिया (इससे पूर्व तांगानिका और जंजीबार), जांबिया, मालावी, जेयरे तथा इथोपिया से भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से आया हो :

परन्तु उपबन्धित है कि वर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) से सम्बन्धित वही प्रत्याशी माना जायेगा जिसको भारत सरकार/राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया हो, प्रत्याशी माना जायेगा जिसके बारे में पात्रता का प्रमाण-पत्र अनिवार्य हो, को भी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा आयोजित साक्षात्कार या किसी परीक्षा में बैठने की आज्ञा दी जा सकती है परन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पात्रता का आवश्यक प्रमाण-पत्र मिलने के बाद ही किया जायेगा ।

15. सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु चयन

सीधी भर्ती की स्थिति में इन पदों हेतु नियुक्ति के लिये चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर यदि आयोग/भर्ती प्राधिकारी उचित समझे तो लिखित परीक्षा अथवा जो व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि आयोग/भर्ती प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

16. आरक्षण

उक्त सेवा में नियुक्ति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/पिछड़े वर्गों के अन्तर्गत चयनित परिवारों इत्यादि के लिये सेवाओं में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के अधीन होगी ।

17. शिथिल करने की शक्ति

जहां पर प्रदेश सरकार का यह मत हो कि यह करना जरूरी है या इसे इस तरह से करना है तो इसके कारणों को अंकित करके हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से लिखित आदेश प्राप्त करके किसी श्रेणी, वर्ग, व्यक्तियों या पद के नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दी जा सकती है ।

18. विभागीय परीक्षा

(1) सेवा के प्रत्येक सदस्य को विभागीय परीक्षा नियम के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि या इन नियमों की अधिसूचना के दो वर्ष के भीतर जो भी बाद में हो, विभागीय परीक्षा को पास करना होगा, अन्यथा वह निम्नलिखित का पात्र नहीं होगा:—

(क) आगामी देय दक्षतारोध पार करने के लिए,

(ख) सेवा में स्थाईकरण,

(ग) आगामी उच्च पद में पदोन्नति :

उपबन्धित है कि यदि एक सदस्य उपर्युक्त अवधि के भीतर पदोन्नति के लिए अन्यथा पात्र बन जाता है, उस की पदोन्नति के लिए विचार अन्यथा किया जाएगा और यदि अन्यथा उपयुक्त पाया जाए, इस विभागीय परीक्षा को पास करने की शर्त पर अस्थायी पदोन्नत कर दिया जाएगा। यदि वह इसे पास करने में असफल रहता है तो उसे पदावनत किया जा सकता है :

आगे यह भी उपबन्धित है कि अधिकारी जिसने विभागीय परीक्षा को इन नियमों की अधिसूचना से पहले किन्हीं अन्य नियमों के अधीन पूरी या आंशिक रूप से पास कर लिया है, इसे पूरी या आंशिक परीक्षा, कुछ भी स्थिति हो, पास करनी अपेक्षित नहीं आवश्यक होगी :

आगे उपबन्धित है कि यदि किसी अधिकारी के लिए इन नियमों के अधिसूचित होने से पहले कोई विभागीय परीक्षा निर्धारित नहीं थी और वह अधिकारी 1 मार्च, 1976 को 45 वर्ष की आयु पार कर चुका हो तो उसे नियमों के अधीन निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी आवश्यक होगी ।

(2) किसी अधिकारी को उसकी सीधे पदोन्नति लाईन के किसी उच्च पद में पदोन्नति होने के उपरान्त उपर्यक्त परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि उसने पहले ही इससे निचले राजपत्रित पद पर उक्त परीक्षा पास कर ली हो।

(3) सरकार हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से विशेष परिस्थितियों में और लिखित रूप में इसके कारण रिकार्ड करके विभागीय परीक्षा नियमों के अनुसार व्यक्तियों को किसी भी श्रेणी में या वर्ग को विभागीय परीक्षा में पूर्ण अथवा आंशिक छूट दे सकती है।

एस0 एम0 कंवर,
कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव ।

स्थानीय स्वायत शासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 अक्तूबर, 1988

संख्या एल0 एस0 जी0-ए0 (9)-18/84.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 की धारा 257 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) और (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीन वर्ष की अवधी के लिए शिमला जिला के अधिसूचित क्षेत्र समिति, सुन्नी के निम्नलिखित सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों को तत्काल प्रभाव से सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

सरकारी सदस्य :

1.	तहसीलदार, सुन्नी, जिला शिमला	.. सदस्य
2.	सहायक अभियन्ता (भवन एवं सड़कें) हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सुन्नी	.. सदस्य
3.	सहायक अभियन्ता (सिचाई एवं जन स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश, लोक निर्माण विभाग, सुन्नी	.. सदस्य
4.	चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुन्नी	.. सदस्य

गैर-सरकारी सदस्य :

1.	श्री योग राज पुत्र श्री गंगा दास, निवासी सुन्नी, जिला शिमला	.. सदस्य
2.	श्रीमती धनी देवी पत्नी श्री परमा नन्द, निवासी सुन्नी जिला शिमला	.. सदस्या
3.	श्री रोशन लाल पुत्र श्री जिन्दू राम, निवासी सुन्नी, जिला शिमला (अ0 जा0)	— सदस्य
4.	श्री प्रेम गुप्ता पुत्र श्री गुसाउं राम, निवासी सुन्नी, जिला शिमला	— सदस्य
5.	श्री बृज मोहन गुप्ता पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी सुन्नी, जिला शिमला	... सदस्य

और, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, तहसीलदार, सुन्नी, जिला शिमला को तीन वर्ष की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से अधिसूचित क्षेत्र समिति, सुन्नी, जिला शिमला में प्रधान के रूप में भी सहर्ष नियुक्त करते है ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव।

[*In pursuance of clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to publish the authoritative English Text of Notification No. LSG-A* (9)-18/84, *dated* 14-10-88 *for the information of the general public.*]

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14*th October,* 1988

No. LSG-A (9)-18/84.—In exercise of the powers conferred by clause (*d*) and (*e*) of sub-section (1) of section 257 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1968 (Act No. 19 of 1968), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the following Official and Non-Official

Members of the Notified Area Committee, Suni in Shimla District for a period of three years, with immediate effect:—

Official Members :

1.	Tehsildar, Suni, District Shimla	.. *Member*
2.	Assistant Engineer (B & R) Himachal Pradesh Public Works Department, Suni	.. *Member*
3.	Assistant Engineer (I & P. H.), Himachal Pradesh Public Works Department, Suni	.. *Member*
4.	Medical Offieer, Primary Health Centre, Suni	.. *Member*

Non Official Members :

1.	Shri Yog Raj s/o Shri Ganga Dass, r/o Suni, District Shimla	.. *Member*
2.	Smt. Dhani Devi w/o Shri Parma Nand, r/o Suni, District Shimla	.. *Member*
3.	Shri Roshan Lal s/o Shri Jindu Ram, r/o Suni, District Shimla (S. C.)	.. *Member*
4.	Shri Prem Gupta s/o Shri Gusaun Ram, r/o Suni, District Shimla	.. *Member*
5.	Shri Brij Mohan Gupta s/o Shri Roshan Lal, r/o Suni, District Shimla.	.. *Member*

The Governor of Himachal Pradesh is further pleased to appoint the Tehsildar, Suni, District Shimla as President of the Notified Area Committee, Suni, District Shimla for a period of three years with immediate effect.

By order.
S.d/-.
Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।